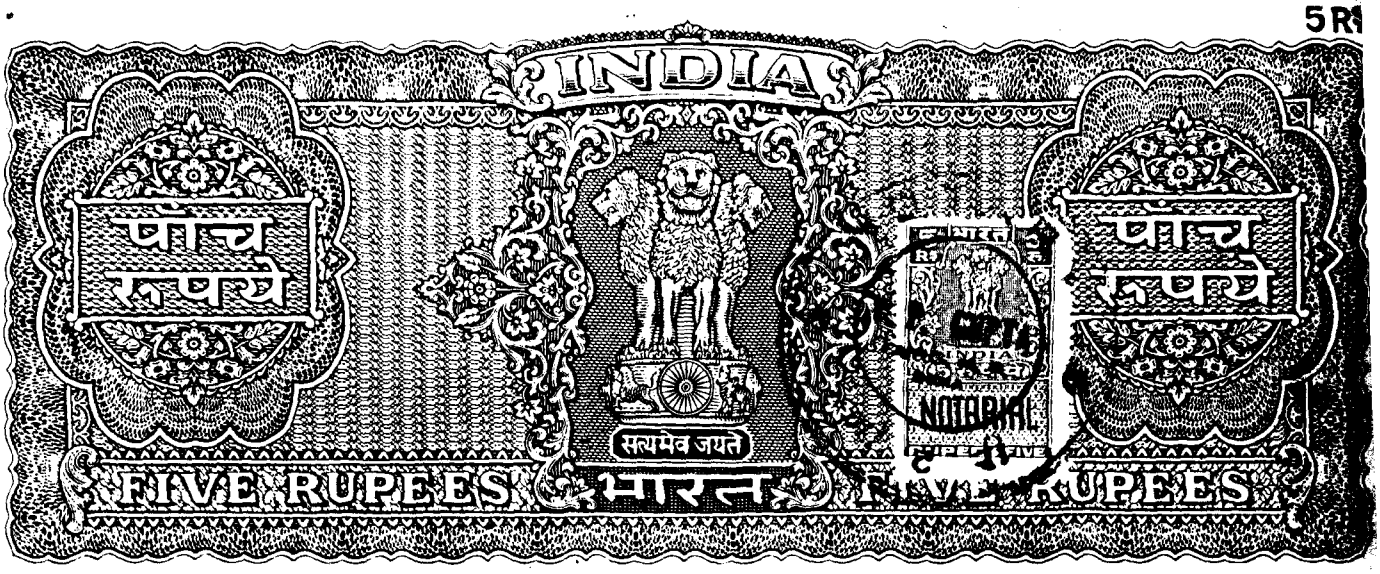

समक्ष माननीय जाँच आयोग भिलाई(दुर्ग) गोलीकांड.

रामगोपाल पाडेय आ. श्री चन्द्रभूषण पाडेय उम्र 37वर्ष,
पद- सहायक श्रम आयुक्त, रायपुर श्रम संभाग, रायपुर ...शपथकर्ता.

-=:: शपथ-पत्र ::=-

मै रामगोपाल पाडेय आ0 श्री चन्द्रभूषण प्रसाद पांडेय आयु 37 वर्ष, निम्नलिखित अभिकथन शपथपूर्वक करता हूं :-

1. यह कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा द्वारा श्रमिक आन्दोलन एवं विवाद के निराकरण हेतु किये गये प्रयास के संदर्भ में मेरे द्वारा पूर्व में एक प्रतिवेदन जिसमें क्रमशः कंडिका 1से 26 तक पूर्ण विवरण पेश किया गया है तथा उससे संबंधित दस्तावेजो की प्रतिलिपि भी उसमें संलग्न हैं । जो पूर्णतः मेरी जानकारी एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सत्य व सही है।

2. यह कि साक्ष्य की दृष्टि से एवं प्रक्रियात्मक कठिनाईयो के सरलीकरण हेतु मैं निराकरण हेतु किये गये प्रयास के संदर्भ में कंडिका 1 से 21 तक की कार्यवाहियां एवं समस्त सूचनाऐं दस्तावेजी साक्ष्यो के साथ जो सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय रायपुर एवं श्रमायुक्त कार्यालय इंदौर से संबंधित है, को आज प्रस्तुत कर रहा हूं ।

3. यह कि मैने पूर्व में प्रस्तुत दस्तावेजो एवं विवरणो तथा आज प्रस्तुत किये जाने वाले विवरणो की पूर्ण कंडिकाओ का अध्ययन एवं अनुशीलन कर लिया हूं । इसके साथ ही साथ विवरणो के तथ्यो को दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित किये जाने हेतु जो दस्तावेज प्रस्तुत किये जा रहे है , वे भी मेरे द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर सही व सत्य है ।

...2/

4. यह कि जो विवरण आज मेरे द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे है और पूर्व में प्रस्तुत किये जा चुके है, उसकी सत्ययता के समर्थन में यह शपथपत्र प्रस्तुत करने का मौका आया । साक्ष्य हेतु यह शपथपत्र प्रस्तुत है ।

यह शपथपत्र सही एवं सत्य है, ईश्वर मेरी मदद करेगें ।

दुर्ग,
दिनांक:- 11.10.93

शपथकर्ता.

(राम गोपाल पाण्डेय)

-=:: सत्यापन ::=-

मै रामगोपाल पाण्डेय आत्मज श्री चन्द्रभूषण प्रसाद पाण्डेय, उम्र 37 वर्ष, पद- सहायक श्रमायुक्त, रायपुर श्रम संभाग, रायपुर, उपरोक्त शपथपत्र की कंडिका 1 से 4 में दी गई जानकारी मेरे द्वारा एवं सहायक श्रमायुक्त कार्यालय रायपुर व श्रमायुक्त कार्यालय इंदौर के दस्तावेजों की जानकारी के अनुसार सही व सत्य है । इसे आज दिनांक 11.10.93 स्वीकार कर दुर्ग में हस्ताक्षर किया ।

पहचानकर्ता.

K.G. Sharma 11/10/93
(K.G. Sharma)
D.P.O.
Durg

शपथकर्ता.

(रामगोपाल पाण्डेय)

रामगोपाल पांडेय
पिता का नाम चन्द्रभूषण पांडेय सहायक श्रम आयुक्त रायपुर
~~जिले में व्यवसाय करता हूं, जो कि~~
श्री के.जी. शर्मा फोटो हस्ताक्षर
आज मेरे सामने ... जा रहे हैं पहचान किया गया है।
-=::0::=-
आज दिनांक 11 OCT 1993 को मेरे
सामने शपथ ली।

हस्ताक्षर 11/10/93
(नोटरी - यशपाल गुप्ता)
दुर्ग (म.प्र.)
11 OCT 199_

परिशिष्ट 17

61

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा द्वारा श्रमिक आन्दोलन एवम् विवाद के निराकरण हेतु किये गये प्रयास :-

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा द्वारा प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ के माध्यम से स्व0 श्री शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में सिम्पलेक्स कास्टिंग्स, भिलाई में दिनांक 25-10-1990 से फैक्ट्री गेट पर धरना एवम् घेराव करके आन्दोलन की शुरुवात की गई । यूनियन से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 26-10-1990 को काम पर आने के लिये श्रमिकों से बांड भराने एवम् कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने का विरोध किये जाने पर 435 श्रमिक कार्य से बाहर किये गये तथा कुछ नये श्रमिकों व कुछ महिला श्रमिकों को फैक्ट्री के अन्दर रोककर उनसे कार्य कराये जाने लगा । जबकि प्रबंधन का कथन है कि श्रमिक स्वतः कार्य पर उपस्थित नहीं हो रहे थे, व कारखाने में आने के इच्छुक श्रमिकों को गेट से बाहर रोका जा रहा था । प्रबंधन द्वारा यूनियन की अवैधानिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिये श्रम न्यायालय तथा सिविल कोर्ट से क्रमशः दिनांक 29-10-1990 तथा 31-10-1990 को निषेधाज्ञा प्राप्त की गई किन्तु उसका प्रभाव यूनियन की प्रतिबंधात्मक गतिविधियों पर नहीं हुआ ।

2. इसी यूनियन द्वारा भिलाई वायर्स लि.म0, भिलाई में प्रबंधन एवम् मेटल एण्ड वर्कर्स यूनियन (एटक), भिलाई के मध्य दिनांक 27-10-1990 को प्रबंधन द्वारा बोनस भुगतान करने पर घेराव कर बोनस भुगतान करने से रोका गया । विदित हो कि समझौते के अनुसार 16.5 प्रतिशत नियमित श्रमिकों को तथा 12 प्रतिशत ठेका श्रमिकों को बोनस दिया जाना तय हुआ था जबकि पूर्व में नियमित श्रमिकों को 14.5 प्रतिशत तथा ठेका श्रमिकों को 8.33 प्रतिशत बोनस का भुगतान किया गया था । श्रमिकों की उक्त गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिये प्रबंधन द्वारा श्रम न्यायालय से

निषेधाज्ञा प्राप्त किया गया इसके बावजूद युनियन की प्रतिबंधात्मक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई ।

3. सिम्पलेक्स कास्टिंग्स लिमिटेड, युनिट नं-1 तथा भिलाई वायर्स लिमिटेड, भिलाई में उत्पन्न गतिरोध की स्थिति को समाप्त करने की दृष्टि-ट से दिनांक 31-10-1990, 8-11-1990, 14-11-1990, 27-11-1990 तथा दिनांक 10-12-1990 को दोनों इकाईयों के प्रबंधन तथा युनियन प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई जिसमें युनियन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे किन्तु प्रबंधन की ओरसेकोई उपस्थित नहीं हुआ । कदाचित प्रबंधन इस युनियन से कोई वार्ता अथवा समझौते हेतु तैयार नहीं थे ।

4. स्व0 श्री नियोगी व्दारा दिनांक 15-11-1990 को भिलाई स्थित सभी इकाईयों में हड़ताल का आव्हान किया गया इसके बाद शनैः-शनैः उनके व्दारा सिम्पलेक्स उदयोग समूह की अन्य इकाईयों, केडिया डिस्टलरी, भिलाई, छत्तीसगढ़ डिस्टलरी, कुम्हारी, महेश्वरी इन्डस्ट्रीज, भिलाई, आर0 के0 इन्डस्ट्रीज, भिलाई, भिलाई इंजीनियरिंग कारपोरेशन, भिलाई आदि इकाईयों में आन्दोलन का विस्तार किया गया । दिसम्बर, 1990 तक पूरे भिलाई क्षेत्र में विभिन्न रूपों में जैसे रैली, जुलूस, मशाल जुलूस, नारेबाजी, गेट पर रोक-टोक, कारखाने के अन्दर अनुशासन-हीनता आदि श्रमिक गतिविधियां अधिकांश इकाईयों में चलायी जाने लगी । स्व0 नियोगी व्दारा आन्दोलन का विस्तार इसी रूप में उरला (रायपुर) टेडेसरा (राजनांदगांव) स्थित औदयोगिक इकाईयों में किया गया ।

<u>युनियन व्दारा प्रस्तुत मांग पत्र :</u>

5. स्व0 श्री शंकर गुहा नियोगी व्दारा छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ के बेनर पर आन्दोलन भिलाई में प्रारंभ किया गया था ।

छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ के नाम पर 29 सूत्रीय मांग पत्र दिनांक 31-8-1990 को विभिन्न इकाईयों को भेजा गया जो परिशिष्ट "अ" है, बाद में दिनांक 1-10-1990 को प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ का पंजीयन कराया जाकर इस श्रमिक संघ के माध्यम से 9 सूत्रीय मांग पत्र दिनांक 15-10-1990 को भिलाई, उरला तथा टेढ़ेसरा स्थित विभिन्न इकाईयों को भेजा गया जो परिशिष्ट "ब" है । साथ ही एक अन्य श्रमिक संगठन छत्तीसगढ़ केमिकल्स मिल मजदूर संघ के माध्यम से डिस्टलरी इकाईयों को 9 सूत्रीय मांग पत्र प्रेषित किया गया । दिनांक 31-8-1990 को प्रेषित 29 सूत्रीय प्रथम मांग पत्र वस्तुतः बिना गंभीर विचार के तैयार कर एक सामान्य मांग पत्र ~~में×अ××××××~~ के रूप में जारी किया गया था । बाद में दिनांक 15-10-1990 को प्रेषित 9 सूत्रीय मांग पत्र यद्यपि संक्षिप्त तथा तथ्यपूर्ण है, फिर भी पृथक-पृथक इकाईयों की स्थिति के अनुसार पृथक-पृथक मांग पत्र यूनियन द्वारा नहीं भेजते हुये समान मांग पत्र एक सामान्य मांग पत्र के रूप में ही सभी को भेजा गया ।

LIBRARY
P. GUPTA
DURG, M.P.
INDIA
नोट रो

<u>छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के संबद्ध उक्त श्रमिक संघ :-</u>

§1§ प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ तथा,

§2§ छत्तीसगढ़ केमिकल मिल मजदूर संघ द्वारा म0 प्र0 औ0 संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 31§2§ के प्रावधानानुसार मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही धारा 39 के अनुसार विवाद प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये जिससे वैधानिक रूप से विवाद को पंजीबद्ध किया जाकर संराधन कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकी । इसके लिये श्रमिक संघों को बैठकों में समझाईस दी गयी किन्तु अपने विवाद के लिये वैधानिक प्रक्रिया का अनुसरण करने के बजाय श्रमिक आन्दोलन के द्वारा मांगों को मनवाने में यूनियन की आस्था प्रतीत हुई । इस वजह से ही संराधन कार्यवाही के संचालन में कठिनाई विद्यमान

--4--

रही, फिर भी विद्यमान गतिरोध को समाप्त कराने के लिये स्थानीय स्तर (सहायक श्रम आयुक्त) के अलावा श्रम आयुक्त तथा जिला प्रशासन स्तर पर भी निराकरण के गंभीर प्रयास किये गये ।

6. छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा व्दारा श्रमिक आन्दोलन के दौरान त्वरित एवम् महत्वपूर्ण समस्या श्रमिकों के कार्य से बाहर हो जाने की रही है । अधिकांश इकाईयों में श्रमिकों व्दारा आन्दोलनात्मक गतिविधियों के कारण प्रबंधन के साथ कुछ मुद्दों पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती जिससे तात्कालिक एवम् अहम् उन मुद्दों के कारण विवाद गंभीर हो जाते, फलस्वरूप किसी न किसी रूप में श्रमिक कार्य से बाहर होते गये ।

इसी दौरान स्व0 श्री शंकर गुहा नियोगी की दिनांक 28-9-1991 को अज्ञात व्यक्तियों व्दारा निर्मम हत्या के उपरान्त क्षेत्र में विकट तनाव, आक्रोश एवम् अशान्त वातावरण व्याप्त हो गया जिससे दो समस्याएं सामने आई ।

(1) शांति एवम् सामान्य वातावरण बहाल कराना ।

(2) युनियन के साथ समझौता कराकर श्रमिक विवाद का पदाक्षेप कराना ।

क्षेत्र के सामान्य वातावरण के निर्माण हेतु सहायक श्रम आयुक्त, रायपुर व्दारा दिनांक 20-10-1991 तथा दिनांक 21-10-1991 को दोनों पक्षों की अलग-अलग बैठके प्रारंभ की गई । दोनों पक्षों से कार्य से बाहर श्रमिकों की सूची एवम् अन्य जानकारी मांगी गयी । दिनांक 23-10-1991 एवम् 24-10-1991 को उप श्रम आयुक्त (औ0 सं0) श्रमायुक्त कार्यालय, इन्दौर व्दारा पक्षों से चर्चा की गयी, दिनांक 29-10-1991 से दिनांक 31-10-1991 तक अपर श्रमायुक्त, इन्दौर व्दारा पक्षों से पृथक-पृथक वार्ता की गयी तथा युनियन को कार्य से बाहर श्रमिकों की इकाईवार सूची प्रस्तुत करने को कहा गया । दिनांक 21, 22 एवम् 23 नवम्बर, 1991 को

इन्दौर में अपर श्रमायुक्त व्दारा दोनों पक्षों की बैठक बुलायी गयी जिसमें दिनांक 23-11-1991 को किसी तरह दोनों पक्षों को प्रथम बार आमने सामने बैठाकर सामान्य वातावरण निर्मित करने व विवाद को हल करने की दिशा में पक्षों के मध्य औपचारिक बातचीत कराई गई । दिनांक 6-12-1991 तथा 18-12-1991 को उप श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर में बैठक रखी गयी ।

7. अपर श्रमायुक्त, म0 प्र0 शासन, इन्दौर व्दारा दिनांक 24-12-1991 को रायपुर में सिम्पलेक्स उद्योग समूह तथा भिलाई वार्यर्स के प्रबंधकों एवम् युनियन प्रतिनिधियों की बैठक ली गयी । वार्ता में कार्य से बाहर श्रमिकों को कार्य पर लेने बाबत विस्तृत चर्चा हुई । दिनांक 25-12-1991 को केडिया डिस्टलरी एवम् छत्तीसगढ़ डिस्टलरी के प्रबंधन प्रतिनिधियों तथा युनियन प्रतिनिधियों के मध्य कार्य से बाहर श्रमिकों को कार्य पर लेने बाबत समझौता कराया गया, जो परिशिष्ट "स" है जिसका बाद में पालन नहीं हो सका । दिनांक 26-12-1991 को बी0 ई0 सी0 तथा बी0 के0 उद्योग समूह के प्रतिनिधियों तथा युनियन प्रतिनिधियों के साथ अपर श्रमायुक्त व्दारा चर्चा की गई ।

8. सहायक श्रमायुक्त व्दारा दिनांक 2-1-1992 से दिनांक 4-1-1992 तक भिलाई वार्यर्स लिमिटेड, सिम्पलेक्स तथा बी0 ई0 सी उद्योग समूह के प्रतिनिधियों एवम् युनियन प्रतिनिधियों के साथ अपर श्रमायुक्त, इन्दौर व्दारा पूर्व में की गई बैठक के तारतम्य में वार्ता की गई । दिनांक 13-1-1992 को छत्तीसगढ़ डिस्टलरी एवम् केडिया डिस्टलरी के प्रबंधन प्रतिनिधियों एवम् युनियन प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 25-12-1991 को कराये गये समझौते के परिपालन के संबंध में बैठक ली गयी । इस बैठक में केडिया डिस्टलरी के महाप्रबंधक (कार्मिक प्रशासन) श्री रमाशंकर तिवारी के साथ कार्यालय से बाहर जाते समय श्रमिकों व्दारा धक्का-मुक्की की गई जिससे दोनों पक्षों के मध्य काफी प्रयासों के बाद उत्पन्न सौहार्द्रपूर्ण वातावरण पुनः बिखराव आ गया ।

9. आयुक्त, रायपुर राजस्व संभाग, रायपुर व्दारा कलेक्टर एवम् पुलिस अधीक्षक, रायपुर तथा दुर्ग , उप श्रमायुक्त व सहायक श्रमायुक्त के साथ यूनियन तथा प्रबंधन प्रतिनिधियों की दिनांक 22-1-1992 को एक बैठक ली जाकर विवाद के निराकरण के संबंध में प्रयास किये गये । आयुक्त, रायपुर व्दारा विवाद के निराकरण के लिये पक्षों से चर्चा कर एक फार्मूला (प्रारूप) तैयार किया गया जो परिशिष्ट " द " है ।

10. अपर श्रमायुक्त, म0 प्र0 शासन, इन्दौर व्दारा रायपुर में दिनांक 27-1-1992 एवम् दिनांक 28-1-1992 को दोनों पक्षों की बैठक ली गयी जिसमें पक्षों के मध्य पुनः तनाव हो जाने के कारणों तथा समाधान पर चर्चा की गई । दिनांक 2-2-1992 से दिनांक 4-2-1992 तक सहायक श्रम आयुक्त व्दारा बी0 ई0 सी0 प्रोजेक्ट्स, उरला के विवाद के संबंध में दोनों पक्षों से वार्ता की गई । दोनों पक्ष समझौते के निकट पहुंचते हुये दृष्टिगत हुये परन्तु समझौता सम्पन्न नहीं हो सका ।

11. श्रम आयुक्त, म0 प्र0 शासन तथा अपर श्रमायुक्त व्दारा रायपुर आकर दिनांक 25-2-1992 से दिनांक 27-2-1992 तक पक्षों से अलग-अलग वार्ता की गई । दिनांक 6-3-1992 तथा 15-3-1992 को सहायक श्रम आयुक्त व्दारा तिम्मलेक्स उद्योग समूह के प्रबंधन को कार्यालय में चर्चा हेतु बुलाया गया तथा विवाद के निराकरण हेतु वार्ता की गई । दिनांक 26-3-1992 को बी0 ई0 सी0 उद्योग समूह के प्रबंधन प्रतिनिधियों से विवाद के निराकरण हेतु चर्चा की गई । दिनांक 26-5-1992 को सहायक श्रमायुक्त व्दारा सभी प्रबंधन प्रतिनिधियों से अलग-अलग वार्ता की गई ।

यहां यह उल्लेखनीय है कि काफी प्रयासों के बाद पक्षों को किसी तरह दिनांक 23-11-1991 को आमने सामने बैठाकर वार्ता प्रारंभ की गई थी एवम् पक्षों के मध्य वार्ता में काफी प्रगति परिलक्षित हो रही थी किन्तु दिनांक 13-1-1992 को केडिया डिस्टलरी के महाप्रबंधक के साथ श्रमिकों व्दारा धक्का मुक्की करने व दिनांक 17 एवम् 18 जनवरी, 1992 को टेड्सरा तथा भिलाई में मारपीट, तोड़फोड़ आदि की घटना

घटित होने तथा छत्तीसगढ़ डिस्टलरी, कुम्हारी में धीमे कार्य की पद्धति अपनाकर उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हो जाने आदि परिस्थितियों के कारण पक्षों के मध्य तनाव एवम् काफी दूरी विद्यमान हो गयी फलस्वरूप पक्षों के बीच वार्ता का वातावरण एक बार पुनः समाप्त सा हो गया । इसी वजह से पक्षों के मध्य बैठकों का सिलसिला कुछ समय के लिये रुक गया

12. दिनांक 30-5-1992 से 1-6-1992 तक अपर श्रमायुक्त व्दारा रायपुर में दोनों पक्षों से अलग-अलग वार्ता की गयी । दिनांक 2-6-1992 से 6-6-1992 तक श्रमायुक्त, म0 प्र0 व्दारा विवाद के निराकरण हेतु दोनों पक्षों से लगातार वार्ता की गयी । दिनांक 4 एवम् 5 जून, 1992 को दुर्ग में कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक, दुर्ग भी सम्मिलित रहे । श्रमायुक्त व्दारा वार्ता में युनियन को पूर्व में तैयार किये गये फार्मूले के अनुसार विवाद का निराकरण करने हेतु सहमत कराया गया, किन्तु नियोजक फार्मूले के अनुसार विवाद को हल करने हेतु सहमत होने के बजाय उनके व्दारा कहा गया कि सभी मांगों पर एक साथ चर्चा कर विवाद का निराकरण किया जाना चाहिये । इस प्रकार इस वार्ता में यह तय हुआ कि सभी मांगों पर एक साथ चर्चा कर विवाद का निराकरण किया जावे तदानुसार दिनांक 6-6-1992 को दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर मांग क्रमांक एक से 6 तक वार्ता की गयी ।

दिनांक 11-6-1992 से 13-6-1992 तक इन्दौर में श्रमायुक्त तथा अपर श्रमायुक्त व्दारा मांग क्र मांक 1 से 9 तक वार्ता की गयी । मांग क्रमांक 9 जो कि कार्य से बाहर श्रमिकों को पुनः काम पर रखने से संबंधित है, के बारे में नियोजकों की ओर से कहा गया कि लगातार आन्दोलनों के कारण आदेशों की कमी हो जाने तथा आन्दोलन के दौरान कुछ नये श्रमिक रख लिये जाने के कारण कार्य से बाहर सभी श्रमिकों को एक साथ कार्य पर रखने की स्थिति नहीं रह जाने के कारण फिलहाल 500-600 श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार दिया जा सकता है, जिससे युनियन सहमत नहीं हुई ।

13. दिनांक 16-6-1992 से 20-6-1992 तक सहायक श्रमायुक्त, रायपुर व्दारा नियोजकों के प्रतिनिधियों से वैकल्पिक रोजगार के स्थान

पर जो श्रमिक जहां थे वहीं पुर्ननियोजित कराने बाबत चर्चा की गयी । दिनांक 17, 19 एवम् 21 जून, 1992 को युनियन प्रतिनिधियों से चर्चा की गयी जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि 500-600 श्रमिकों को काम पर लेने के बजाय एक सिद्धान्त को तय करके इस सिद्धान्त के अनुसार श्रमिकों को वापस लिया जावे ।

दोनों पक्षों के मध्य व्यवहारिक वार्ता हेतु लगातार वार्ता नियत की गयी । दिनांक 29-6-1992 को भिलाई वायर्स लिमिटेड के साथ, दिनांक 30-6-1992 को बी० ई० सी० उद्योग समूह के साथ तथा दिनांक 1, 2 एवम् 3 जुलाई, 1992 को क्रमशः सिम्पलेक्स, केडिया तथा बी० के० उद्योग समूह के साथ युनियन से वार्ता हेतु बैठक नियत की गयी दोनों पक्षों को इन बैठकों के संबंध में सूचना भी दी गयी । दिनांक 29-6-1992 को भिलाई वायर्स लिमिटेड के प्रबंधन तथा यूनियन प्रतिनिधियों के मध्य वार्ता प्रारंभ की गयी, वार्ता में प्रबंधन की ओर से उनके प्रबंध संचालक तथा महाप्रबंधक के कलकत्ता में होने के कारण अपनी पूरी स्थिति रखने हेतु 2 दिन का समय मांगा गया । प्रबंधन प्रतिनिधि को दूरभाष पर कलकत्ता सम्पर्क कर निर्देश प्राप्त करने का निर्देश देकर सायंकाल 7:30 बजे 1:30 के लिये वार्ता स्थगित की जाकर रात्रि 9:0 बजे पुनः वार्ता नियत की गयी । किन्तु इस वार्ता में प्रबंधन के प्रतिनिधि श्री के० एच० झा उपस्थित नहीं हुये तथा दूरभाष पर खबर प्राप्त हुई कि वे भिलाई चले गये हैं । इस पर युनियन प्रतिनिधि का कथन रहा कि दिनांक 30-6-1992 को बी० ई० सी० उद्योग समूह के साथ वार्ता प्रारंभ करने के पूर्व भिलाई वायर्स लिमिटेड के साथ वार्ता करायी जावे । वे भिलाई वायर्स की स्थिति तय हो जाने के बाद अन्य इकाईयों से वार्ता करने सहमत होंगे । भिलाई वायर्स लिमिटेड को दिनांक 30-6-1992 को दोपहर 1:0 बजे वार्ता में आने हेतु दूरभाष पर पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के माध्यम से तथा कार्यालय द्वारा भी सूचना दी गयी । पुलिस अधीक्षक, दुर्ग से यह जानकारी भी प्राप्त हुई कि भिलाई वायर्स लिमिटेड के कार्मिक प्रबंधक श्री झा बैठक के लिये 4:30 सायंकाल रायपुर निकल चुके हैं किन्तु वे रायपुर बैठक में उपस्थित नहीं हुये

जबकि मोर्चा प्रतिनिधियों से सायंकाल 7:15 बजे तक वार्ता चलती रही ।

दिनांक 30-6-1992 को पूर्व निर्धारित बैठक में बी० ई० सी० उद्योग समूह के प्रबंधन प्रतिनिधि उपस्थित हुये किन्तु यूनियन द्वारा भिलाई पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड का विवाद हल हो जाने के बाद ही अन्य इकाईयों से वार्ता करने की स्थिति के कारण बी० ई० सी० प्रबंधन प्रतिनिधियों के साथ पृथक से वार्ता की जाकर वार्ता के दौर को अधिक सार्थक बनाने तथा नियोजकों से संरांधन वार्ता में उपयुक्त सहयोग तथा तत्परता प्राप्त करने की दृष्टि से दिनांक 1-7-1992 को प्रातः 11:0 बजे भिलाई में नियोजकों के साथ वार्ता रखी गयी । दिनांक 30-6-1992 को मोर्चा प्रतिनिधियों सर्वश्री जनकलाल ठाकुर, अनूप सिंह, गनेशराम चौधरी तथा एन० आर० घोषाल आदि से सायंकाल 7:15 बजे तक चली वार्ता में कहा गया कि दिनांक 1-7-1992 को भिलाई में नियोजकों के साथ दोपहर पूर्व चर्चा की जावेगी तथा दोपहर पश्चात् आपसे भिलाई में ही वार्ता की जावेगी । दिनांक 1-7-1992 को दोपहर 2:30 बजे तक भिलाई इंडस्ट्रीज एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री बी० आर० जैन एवम् अन्य लोगों से चर्चा की गयी तथा सायंकाल 4:0 बजे मोर्चा प्रतिनिधियों की बैठक के लिये दूरभाष पर उनके कार्यालय में सूचित कराया गया किन्तु उसी बीच प्रातः 9:0 बजे मोर्चा द्वारा रेल रोको आन्दोलन पावर हाऊस, भिलाई में प्रारंभ किया जा चुका था जिससे मोर्चा प्रतिनिधि वार्ता में उपस्थित नहीं हुये ।

गोलीकाण्ड की घटना के बाद विवाद के निराकरण हेतु किये गये प्रयास

14. दिनांक 1-7-1992 को पावर हाऊस रेल्वे स्टेशन पर पुलिस द्वारा गोली चालन की घटना की दुखद परिणिति हुई । इसके बाद अनेक श्रमिक नेता गिरफ्तार हुये तथा प्रमुख नेता छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष श्री जनकलाल ठाकुर व अनूप सिंह के भूमिगत हो जाने के कारण काफी दिनों तक वार्ता प्रारंभ करने की स्थिति नहीं बन पायी । दोनों पक्षों से विवाद पर चर्चा प्रारंभ करने हेतु किसी न किसी रूप में सम्पर्क बनाये

रखा गया तथा वार्ता हेतु सामान्य वातावरण निर्मित होने पर दिनांक 7-10-1992 को पाँचों उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों से पृथक-पृथक वार्ता की गयी । वार्ता में नियोजकों के प्रतिनिधियों व्दारा कहा गया कि नियोजकों के बाहर होने के कारण उनकी स्थिति आगामी तिथि में अवगत करायी जायेगी । दिनांक 8-10-1992 को यूनियन प्रतिनिधि श्री गणेशराम चौधरी एवम् अन्य के साथ चर्चा की गयी जिसमें यूनियन प्रतिनिधि व्दारा कहा गया कि आयुक्त रायपुर संभाग तथा श्रम आयुक्त व्दारा जो फार्मूला तैयार किया गया है वह व्यवहारिक है उसके अनुसार विवाद का हल करने में यूनियन अभी भी सहमत है ।

दिनांक 15-10-1992 को प्रबंधन पक्ष की ओर से कहा गया कि दिनांक 13-6-1992 की बैठक में नियोजकों व्दारा 505 श्रमिकों को कार्य पर रखने की सहमति दी गयी थी उससे अभी भी वे सहमत हैं । दिनांक 16-10-1992 को यूनियन से चर्चा की गयी । दिनांक 11-11-1992 को श्रनियोजकों के साथ वार्ता रखी गयी, किन्तु नियोजकों की ओर से केवल सिम्पलेक्स तथा केडिया उद्योग समूह के प्रबंधक उपस्थित हुवे जिससे कोई विशेष वार्ता नहीं हो सकी ।

15. दिनांक 24-11-1992 को भिलाई वायर्स लिमिटेड के प्रबंधन तथा यूनियन के मध्य चर्चा हुई । कार्य से बाहर श्रमिकों के बारे में श्रमिकवार विवेचन किया गया । प्रबंधन पक्ष की ओर से कहा गया कि आगामी बैठक में उनकी ओर से अपनी स्थिति रखी जावेगी । दिनांक 18-1-1993 की बैठक में प्रबंधन प्रतिनिधियों व्दारा अपनी अंतिम स्थिति रखने समय चाहा गया जिस पर यूनियन व्दारा रोष प्रकट किया गया कि प्रबंधन के इस तरह के दृष्टिकोण के कारण वे आगे वार्ता करने हेतु तैयार नहीं हैं । प्रबंधन पक्ष व्दारा इसके बाद की बैठक दिनांक 4-2-1993, 23-2-1993 तथा 10-3-1993 को विवाद के निराकरण हेतु अपनी स्थिति नहीं रख गयी ।

16. दिनांक 26-11-1992 को [illegible] ई० सी० उद्योग समूह

--11--

के विवाद के संबंध में पक्षों के मध्य विस्तृत चर्चा की गयी । इस वार्ता में प्रबंधन की ओर से सुझाव रखा गया कि उनके समूह से संबंधित इकाईयों में कार्य से बाहर श्रमिकों के संबंध में युनियन व्यवहारिक प्रस्ताव दे, किन्तु दिनांक 22-12-1992, 7-1-1993 की आगामी बैठक में युनियन व्दारा अपनी ओर से कोई प्रस्ताव नहीं दिया जा सका जिससे प्रबंधन को अपनी स्थिति आगामी तिथि में विवाद का निराकरण हेतु रखने को कहा गया । किन्तु आगामी बैठक दिनांक 21-1-1993 को प्रबंधन व्दारा अपनी स्थिति नहीं रखी गयी । दिनांक 5-2-1993 तथा 26-2-1993 की बैठक में प्रबंधन का कोई व्यवहारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ।

17. दिनांक 5-1-1993 को सिम्पलेक्स उदयोग समूह के विवाद पर पक्षों के मध्य चर्चा हुयी । वार्ता में कार्य से बाहर श्रमिकों के संबंध में प्रबंधन व्दारा दर्शायी गयी विभिन्न श्रेणियों में से प्रथम वरियता श्रमिकों को कार्य पर लेने के संबंध में किन श्रेणियों को दी जानी चाहिये, इस पर विस्तृत चर्चा हुई । प्रबंधन व्दारा इस संबंध में आगामी तिथी में अपनी स्थिति रखने को कहा गया । दिनांक 19-1-1993 तथा 27-1-1993 को पक्षों के मध्य चर्चा हुई । प्रबंधन व्दारा वार्ता में कहा गया कि आर्डर की कमी के कारण श्रमिकों को ले-आफ दिया जा रहा है । छटनी करनेने की स्थिति भी उत्पन्न हो गयी है अतः ऐसी स्थिति में विद्यमान विवाद के निराकरण के लिये तभी उदयोग समूह के साथ बैठक कर रास्ता निकाला जाना चाहिये । प्रबंधन के इस कथन पर युनियन व्दारा आक्रोश प्रकट किया गया तथा आगे वार्ता करने से इंकार किया गया ।

18. दिनांक 4-2-1993 को केडिया उदयोग समूह से संबंधित विवाद पर पक्षों के मध्य चर्चा हुयी । प्रबंधन व्दारा वार्ता में आगामी तिथि अपनी स्थिति रखने के लिये चाही गयी । आगामी तिथियों में 10-2-1993, 24-2-1993 तथा 25-2-1993 में प्रबंधन पक्ष उपस्थित नहीं हुये ।

19. दिनांक 8-1-1993 को बी० के० उदयोग समूह के विवाद

के संबंध में पक्षों के मध्य वार्ता हुयी । दिनांक 21-1-1993 को भी त्रिपक्षीय वार्ता की गयी, इस वार्ता में यह तय हुआ कि इस समूह से संबंधित कार्य से बाहर श्रमिकों की संख्या बहुत कम है अतः समूह के प्रबंध संचालक से वार्ता कर विवाद का हल निकाला जावे । दिनांक 11-3-1993 को बी0 के0 उद्योग समूह के प्रबंध संचालक श्री विजय कुमार से चर्चा की गयी । वार्ता में श्री विजय कुमार व्दारा कहा गया कि अभी भी श्रमिकों व्दारा धीमे कार्य करना, कार्य के दौरान अनुशासन-हीनता, आदेशों की अवहेलना आदि स्थिति बनी हुयी है । अतः सभी उद्योग समूहों के विवाद का हल एक साथ किया जाना चाहिये ।

20. गोलीकाण्ड की दुखत घटना के बाद तीसरे चरण की वार्ता में भी पक्षों का रुख विवाद के निराकरण हेतु व्यवहारिक एवम् अग्रसर नहीं रहा जिससे समझौते के आसार संभव प्रतीत नहीं होने के कारण पांचों उद्योग समूहों से संबंधित 15 इकाईयों का विवाद म0 प्र0 औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 51 के अंतर्गत संदर्भित करने तथा तीन इकाईयों के विवाद औद्योगिक विवाद अधि0 1947 के अंतर्गत संदर्भित करने हेतु प्रस्ताव श्रम आयुक्त, म0 प्र0 शासन, इन्दौर को दिनांक 9-11-1992 को भेजे गये । श्रम आयुक्त व्दारा 15 इकाईयों के विवाद को म0 प्र0 औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 51 के अंतर्गत संदर्भ करने हेतु म0 प्र0 शासन, श्रम विभाग, भोपाल को दिनांक 7-1-1993 को प्रस्ताव भेजे गये, जिसे म0 प्र0 शासन, श्रम विभाग, भोपाल व्दारा दिनांक 26-2-1993 को औद्योगिक न्यायाधिकरण, रायपुर को ~~xxx~~ पंच निर्णयार्थ सौंपा गया ।

श्रम आयुक्त, इन्दौर व्दारा 3 इकाईयों से संबंधित विवाद को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के अंतर्गत श्रम न्यायालय को दिनांक 27-3-1993 को अधिनिर्णयार्थ संदर्भित किया गया ।

00 श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन के संबंध में विभाग व्दारा की गयी कार्यवाही :-

21. उपरोक्त विवादों के अलावा श्रमिक संघों व्दारा नियोजकों

के श्रम अधिनियमों के प्रावधानों का पालन नहीं करने की शिकायत करने तथा ये मुद्दे अपने पूर्व के 29 सूत्रीय मांग पत्र में उठाये जाने के कारण पांचों उद्योग समूहों की सभी इकाईयों के संविदा श्रमिक (वि० एवम् उ०) अधिनियम, 1970, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 तथा बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अंतर्गत सामुहिक एवम् गहन निरीक्षण कराये गये । निरीक्षणों तथा उल्लंघनों के लिये नियोजकों के विरुद्ध दायर अभियोजन प्रकरणों की सूची (परिशिष्ट "ई" में) संलग्न है ।

श्रम अधिनियमों के अंतर्गत पांच उद्योग समूहों की इकाईयों में निरीक्षणों के अलावा भिलाई, रायपुर तथा रायपुर संभाग में स्थित औद्योगिक इकाईयों में सतत् सामान्य निरीक्षणों के अतिरिक्त सामुहिक एवम् गहन निरीक्षण विशेष अभियान चलाया जाकर [illegible] कराये गये तथा उल्लंघनों के लिये नियोजकों के विरुद्ध न्यायालयों में प्रकरण दायर किये गये । निरीक्षण तथा अभियोजन की रायपुर श्रम संभाग की स्थिति म० प्र० के अन्य श्रम संभागों की तुलना में सर्वाधिक रही है । श्रम आयुक्त कार्यालय की जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ क्षेत्र में श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन का कार्य 120 प्रतिशत किया गया है ।

====

आर. पी. पाण्डेय
सहायक श्रम आयुक्त
रायपुर (म.प्र.)

...P. GUPTA
...lal Gupta
...GUPTA(A)
...OTARY
...(M. P.) INDIA
...OCT 1993

परिशिष्ट - अ

छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ

पं.क्र. - ११५१

भिलाई दुर्ग (म० प्र०)

[illegible]

प्रधान कार्यालय :
मु. पो. [illegible] केम्प-आमल
दुर्ग (म. प्र.)
पिन. ४९१००[illegible]

32-8-90

प्रति,

श्रीमान् महाप्रबंधक,
सिम्पलेक्स कास्टिंग लिमिटेड,
इंडस्ट्रियल एरिया, नंदिनी रोड, भिलाई पिन: ४९००[illegible]

विषय: मजदूर समस्याओं का समाधान एवं न्यायोचित मांगे प्रदान हेतु ।

महोदय जी,

आपके विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत मजदूरों में [illegible] से कम ९०% मजदूर छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ के सदस्य हैं। निरन्तर चलने वाली कार्य के स्थान पर आपने सप्लाई मजदूरों के द्वारा काम लेते आ रहे हैं। तीन-चार महीना काम करने के पश्चात मजदूरों को बैठाकर वही काम के लिए नये सप्लाई मजदूरों के [illegible] से काम लेते आ रहे हैं।

संस्था में कार्यरत दूसरा मजदूर भी उचित वेतनमान, सुविधाएं एवं न्यायोचित मांगों से वर्षों से वंचित होते आ रहे हैं।

आपने, आपके संस्था में कार्यरत मजदूरों को पूर्ण विवरण के साथ परिचय पत्र आज भी प्रदान नहीं किया। इस तरह मजदूर को आज तक असुरक्षित वातावरण में काम करने के लिए बाध्य कराये जा रहे हैं।

औद्योगिक नीति एवं श्रम कानूनों को मद्दे नजर रखते हुए आज तक [illegible] मजदूरों की न्यायोचित मांगे एवं समस्याओं को समाधान हेतु बातचीत [illegible] पर कोई कदम लेने की सक्रिय भूमिका नहीं निभाया, बल्कि [illegible] तानाशाही रवैया अपनाकर मजदूरों की न्यायोचित मांगे एवं मौलिक अधिकार से वंचित रखा। [illegible] मेहनतकश, अनुभवी एवं गरीब मजदूरों को [illegible] [illegible] करके मजदूरों को परिवार सहित भुखमरी का शिकार बनाया। [illegible] मजदूर विरोधी, गैर-कानूनी एवं अमानवीय रवैया एवं प्रक्रिया को [illegible]

[illegible]/2

15

में निरन्तर जारी रखने के रास्ते विभिन्न तरीके अपना रखा है जो निः सन्देह में लोक तांत्रिक समाज व्यवस्था में एक कलंक एवं घोर अन्याय, अत्याचार है ।

छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ की ओर से मैं चाहता हूँ कि आप मजदूरों के न्यायोचित मांगें एवं समस्याओं को सम्मान जनक निराकरण हेतु मानवीय मूल्य स्तर पर सोचें, विचार विमर्श करें। जनवादी प्रक्रिया को सम्मान देते हुए मजदूरों की हर समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे आवें। मैं यह भी विश्वास रखता हूँ कि मजदूर समस्याओं का समाधान आपस में शांति पूर्ण वातावरण एवं बातचीत के जरिये ही संभव है और इसके लिए छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ हर संभव सक्रिय सहयोग करने के लिए प्रस्तुत है। ताकि मेहनतकश मजदूर इज्जत के साथ अपना उचित मजदूरी एवं सुविधाएं एवं जनवादी अधिकार प्राप्त करते हुए अधिक एवं उत्कृष्ठ उत्पादन में अपना श्रम शक्ति नियोजित कर सकें। मालिक एवं मजदूरों के बीच अच्छा सम्पर्क रखते हुए औद्योगिक शांति कायम रखें ।

"धन्यवाद"

मांगें :-

§1§ उद्योग स्थाई है और उनमें कार्यरत समस्त मजदूर को भी स्थाई किया जावे ।

§2§ फोटो एवं पूर्ण विवरण के साथ परिचय पत्र प्रदान किया जावे ।

§3§ पारिख्शार के आधार पर मजदूरों का विभागीय करण किया जावे।

§4§ विभिन्न विभागों में कार्यरत कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल श्रमिकों को बी. एस. पी. में कार्यरत कुशल, अर्धकुशल, एवं अकुशल मजदूरों की वेतनमान एवं सुविधाएं प्रदान की जावे या स्टील वेजबोर्ड कि वेतनमान दि जावे ।

§5§ सन् 1989-90 की समानता बोनस 25% के साथ प्रोडक्टीविटी के बोनस दी जावे ।

§6§ हर महीनों में मजदूरों को इंसेन्टिव बोनस दी जावें ।

§7§ प्रत्येक मजदूरों की सुरक्षा के समस्त उपकरण प्रदान कीं जावे ।

§8§ परिवार सहित मजदूरों की चिकित्सा उपकरण सेवा की समुचित व्यवस्था की जावे ।

§9§ मौसम मुताबिक एवं कार्य आधारित पोषाक प्रदान की जावे ।

§10§ मजदूरों को कम से कम 15 कैजुवल लीव, राष्ट्रीय त्यौहार के

पृ0-----/3

साथ 10 फेस्टिवल लीव, 25 अर्न लीव एवं 30 मेडिकल लीव प्रदान की जाय ।

§11§ पूर्ण वेतन के साथ एक्सीडेंट इंज्यूरी लीव प्रदान की जावे ।

§12§ प्रति 4 वर्ष में एक बार होम टाउन एवं भारत दर्शन होम टाउन भ्रमण के लिए परिवार सहित प्रत्येक मजदूरों को प्रथम श्रेणी का रेल किराया प्रदान की जावे ।

§13§ ड्यूटी आने-जाने के वास्ते मजदूरों को यातायात भत्ता के लिए प्रति-माह 150/- रुपये दिए जावें ।

§14§ बच्चों को शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जावे ।

§15§ हर मजदूर को मूल वेतन के 10% मकान भत्ता दिया जावे ।

§16§ सुरक्षा एवं सुविधा के ऊपर ध्यान रखते हुए कार्यस्थल में सुधार स्वास्थ्य एवं कार्य के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जावे ।

§17§ प्रत्येक मजदूर के लिए वारदन ऑफ प्रोसीजर तय किया जावे ;

§18§ निर्धारित समय के अतिरिक्त समय पर काम कराने के लिए दुगुने वेतन के साथ ओवर टाईम दिया जावे ।

§19§ प्रत्येक मजदूरों को सी॰पी॰एफ॰ एवं ग्रेच्यूटी की सुविधा प्रदान की जावे

§20§ प्रत्येक मजदूरों 1 वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक काम करने वाले मजदूरों को प्रति वर्ष 22 दिन का ग्रेच्यूटी एवं 30 साल से लेकर अधिक समय कार्य करने के लिए मजदूरों को प्रति वर्ष में 30 दिन का ग्रेच्यूटी प्रदान की जावे ।

§21§ आपके संस्था के विभिन्न ईकाइयों, विभाग एवं सेक्शनों में विभिन्न प्रकार कार्य के लिए नियुक्त ठेकेदारों को वरिष्ठता, योग्यता एवं अनुभव के आधार पर संस्था के सुपरवाइजर का दर्जा दिया जावे ।

§22§ हर मजदूर को प्रतिमाह का पेमेन्ट स्लिप एवं वर्ष में 1 बार सी॰पी॰ एफ॰ का स्लिप प्रदान किया जावे ।

§23§ मजदूरों को प्रतिमाह के वेतन भुगतान की तिथि में अगर कारखाना बन्द रहता है तो निर्धारित तिथि के एक दिन पूर्व भुगतान की किया जावे ।

§25§ काम करते हुए दुर्घटनाग्रस्त मजदूरों को उचित क्षतिपूर्ति दी जावे तथा जब तक काम के लिए मेडिकली फिट नहीं हो जाते तब तक के लिए पूर्ण वेतन प्रदान किया जावे ।

क्र०------/4

(25) कार्य करते [illegible] दुर्घटना में मृतक मजदूरों के परिवारों को (आश्रितों) कानून के तहत सम्पूर्ण कम्पेनसेशन प्रदान किया जावे ।

(26) मजदूरों के हेल्थ के ऊपर ध्यान रखते हुए [illegible] में [illegible] एवं [illegible] नाक मास्क एवं चश्मा आदि की व्यवस्था की [illegible]

(27) कारखानों में कार्यरत मजदूरों की एवं [illegible] परिवार के [illegible] सदस्यों की मृत्यु हो जाने पर अंतिम संस्कार [illegible] कम से कम 1,000/- रुपये प्रदान किए जावें ।

(28) कार्य करते समय मजदूरों से अगर कोई भी मशीन, टूल्स [illegible] इक्यूपमेन्ट्स आदि के नुकसान होने पर मजदूरों के वेतन से [illegible] राशि न काटी जाए ।

(29) प्रत्येक मजदूरों को सिक्यूरिटी, हेल्थ, [illegible] एवं [illegible] प्रदान की जावें ।

दिनांक: ....

([illegible])
[illegible]
[illegible]

प्रतिलिपि:

(1) सहायक श्रमायुक्त,
संभाग रायपुर, रायपुर (म.प्र.)

(2) डी.एल.सी. संभाग रायपुर
रायपुर (म.प्र.)

(3) श्रीमान् जिलाध्यक्ष महोदय,
दुर्ग (म.प्र.)

(4) अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
दुर्ग (म.प्र.)

(5) श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय,
दुर्ग (म.प्र.)

([illegible])
[illegible]
[illegible]

परिशिष्ट - "ब"

प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ

म. प्र. हाउसिंग बोर्ड कालोनी, इन्डस्ट्रियल इस्टेट, भिलाई जि. दुर्ग

(Regd. No. 4119)

Ref.No. PESS/B/90/SC /1 Dated 15-10-90

To,

The Managing Director,
Simplex Casting Ltd
Industrial Estate,
Bhilai

OFFICE OF THE Assistant Commissioner of Labour Madhya Pradesh Raipur
Receipt No. 7777/3
Dated 5-11-90

Sub : Charter of demand of the workers working in your industry in continuation of our previous charter of demands raised on 31/8/90 Refer No. SC/1/90

...

Sir,

We know that so far, you have not changed your attitude of ignoring our union. Our efforts to persuade you to follow the constitutional means have fell into deaf ears.

It is now crystal clear that more than 90% of the workers, working in your industry have joined our union. We do not wish to disrupt production by calling an indefinite strike for the fullfilment of our demands. But, if the employer continueously adopts the tactics of intimidation, physical assaults, humiliation and provations by feilding the welknown "dalaals" in the factory campus, there will be no alternative for us, but to go on strik on Monday ____ November, 1990.

Our union requests you again to give up these unfair labour practices and settle the long pending demands of the workers amicably. The following may kindly be considered with priority.

OUR DEMANDS

1. Illegal contractual system should be abolished and all the contractual workers, including the supply workers, should be provided permanent employment with all benefits.

Matters provided in the Standard Standing Orders regarding (I. cards) service book etc. should be implemented. Wage slip/CPF slip should be provided.

...p/2

कार्यालय : सी. एम. एस एस., कॅम्प १, दल्ली राजहरा, जि. दुर्ग (म. प्र.) फोन : 69, 3017 (BSP)

प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ

म. प्र. हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, इन्डस्ट्रियल इस्टेट, भिलाई जि. दुर्ग

2. A fair wage and other facilities should be provided with retrospective effect. Union's proposal regarding the wage structure etc. is mentioned in the annexure.

3. All the workers should be provided loans for construction/possession of a house.

4. a) Annual bonus for the year 89-90 should be provided at a rate of 20%.

   b) A scheme for monthly incentive bonus should also be formulated in consultation with the union.

5. C.P.F. and Gratrity payment should be made applicable for all the workers from retrospective effect.

6. Leave/holidays should be provided as under :

   i) 15 Casual leave

   ii) 10 Festival leave

   iii) 20 Medical leave

   iv) 20/1 Earned leave

   v) Full daily wage should be paid for the injury leave, from the retrospective effect.

7. All measures should be taken to prevent any accident in the work-place and safety appliences should be provided as per the requirement.

8. Proper Medical facilities should be provided to the workers, their family members in the Bhilai Steel Plant Hospital.

9. The repression/victimisation has become a routine in the life of the workers these days. So all the victimized workers should be reinstated from retrospective effect.

Thanking you,

Yours sincerely,

(N.R. Choshal)
Org. Secretary

(Ram Bilas Mandal)
General Secretary

Copy to :-

1. Collector, Durg
2. A.L.C. (State) Raipur
3. D.L.C. (State) Raipur.

प्रगतिशील इन्जीनियरिंग [illegible]
श्रमिक संघ

[illegible] के लिए जंजीरों के सिवा और
[illegible] के लिए है सारी दुनिया".

Regd. No. 4119

इन्डस्ट्रियल एस्टेट, [illegible] रोड, [illegible]
जिला -- दुर्ग, मध्य प्रदेश

ANNEXURE FOR DEMAND NO. 2.

1. PAY - SCALE (BASIC).

a)	Un-Skilled	1350 - 20 - 1630
b)	Semi-Skilled	1415 - 28 - 1611 - 32 - [illegible]
c)	Skilled	1500 - 43 - 1801 - 50 - 2151
d)	Skilled with Specilisation	1690 - 73 - 2201 - 80 - 2771
e)	Supervisor	1790 - 93 - 2371 - 90 - 3001
f)	Ministerial Grade - I	1425 - 43 - 1726 - 53 - [illegible]
g)	Ministerial Grade - II	1690 - 73 - 2201 - 80 - 2761

2. ALLOWANCES

a) Cycle Allowances - Rs. 100/- per month
b) House Rent Allowance - Rs. 200/- per month or an accomodation in M.P.H.B.
c) Shift allowance (for night Shift) - Minimum Rs.10/- Per night Shift.

3. LEAVE FACILITIES

a) Casual Leave - 15 days
b) Festival Leave - 10 days
c) Medical Leave - 30 days
d) Earned Leave - As per the Act.

4. D.A. - Linked with A.I.C.P.I.

Per point Rs.1.65 [illegible]

[signature]

परिशिष्ट "ख"

26.12.91

छत्तीसगढ़ केमिकल मजदूर संघ, भिलाई की ओर से श्री जनक लाल ठाकुर, श्री भीमराव बागड़े उपस्थित [illegible] इंडिया डिस्टलरीज की ओर से श्री सेठ तथा छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज की ओर से डायरेक्टर [illegible] उपस्थित

दोनों पक्षों से विस्तृत चर्चा की गई। इस चर्चा के पश्चात सिद्धांतः यह मान्य किया गया कि जो श्रमिक ठेकेदारों के [illegible] आधार पर [illegible] कार्य से बाहर हैं उन्हें [illegible] जायेंगे परन्तु इसे प्रकार श्रमिक संख्या में आवश्यकता से अधिक वृद्धि होगी उसे समस्या के समाधान हेतु दोनों पक्ष परस्पर चर्चा से मार्ग निकालने का प्रयास करेंगे। चर्चा में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति अथवा सबसे पीछे आओ पहिले जाओ पर विचार विमर्श किया गया आम सहमति यह रही कि ऐसी व्यवस्था की जाना चाहिये जिससे औद्योगिक शान्ति बनी रहे तथा उत्पादन उत्पादकता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो।

उपरोक्त समस्या के समाधान के पश्चात अन्य प्रश्नों पर पुनः चर्चा

परिशिष्ट १

दोनों पक्षों ने चर्चा के दौरान तय किया कि उभय पक्ष उत्पादन, उत्पादकता तथा औद्योगिक संबंधों में वृद्धि के लिये परस्पर सदभावना से कार्य करेंगे। विद्यमान औद्योगिक विवाद को हल करने के लिये निम्नानुसार सहमति व्यक्त की गई।

।१। यूनियन द्वारा वर्तमान में कार्य से बाहर दी गई श्रमिकों की सूची में से श्रमिकों को कार्य पर वापस लेने के बारे में सिद्धान्ततः सहमति प्रगट की गई और निर्णय लिया गया कि :

।अ। जिन श्रमिकों को कार्य पर वापस लेने के बारे में दोनों पक्ष सहमत हैं उन्हें तत्काल कार्य पर वापस लिया जावे।

।ब। शेष श्रमिकों के बारे में यूनियन, प्रबंधन तथा सहायक श्रमायुक्त प्रत्येक प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक परीक्षण कर १५ दिन की अवधि में निर्णय लेंगे तथा किसी भी स्थिति में यह कार्यवाही एक माह के भीतर पूर्ण कर ली जावेगी।

।२। यह भी तय किया गया कि यूनियन द्वारा प्रस्तुत अन्य ६ सूत्रीय मांगों के संबंध में विवाद दोनों पक्षों द्वारा निर्धारित मान्य वैधानिक प्रक्रिया के द्वारा हल किये जावेंगे।

परिशिष्ठ : ङ

क्र०सं०	उद्योग का नाम	न्यूनतम वेतन अधिनियम		[illegible]		[illegible]	
		निरीक्षक	अभियोजन	निरीक्षक	अभियोजन	निरीक्षक	अभियोजन
१:	२:	३		४		५	
१:	सिम्पलेक्स उद्योग समूह	५६	५१	१६	१२	७	ठ
२:	बी०ई०सी० उद्योग समूह	२१	१६	१०	१०	ज	ज
३:	मिलाई वायर्स लि०	६	५	६	५	१	=
४:	छत्तीसगढ डिस्टलरी	३	३	५	५	१	=
५:	बीके इंजीनियरिंग	१	१	३	३	=	=

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से संबद्ध श्रमिक संघों के विवाद पर की गयी कार्यवाही के संबंध में कालक्रमानुसार विवरण ।

बैठक दिनांक	कार्यवाही विवरण
1.	2.
31-8-90	छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा व्दारा छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ के नाम पर 29 सूत्रीय मांग पत्र विभिन्न इकाईयों को भेजा गया ।
1-10-90	प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ तथा प्रगतिशील सीमेन्ट श्रमिक संघ का पंजीयन कराया गया ।
15-10-90	प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ तथा छत्तीसगढ़ केमिकल मिल मजदूर संघ व्दारा 9 सूत्रीय मांग पत्र विभिन्न इकाईयों को दिया गया ।
25-10-90	छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा व्दारा सिम्पलेक्स कास्टिंग्स, भिलाई में फैक्ट्री गेट पर धरना एवम् घेराव करके आन्दोलन की शुरूआत की गयी ।
29-10-90	सिम्पलेक्स कास्टिंग्स प्रबंधन व्दारा श्रम न्यायालय से निषेधाज्ञा प्राप्त की गयी ।
	छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा व्दारा भिलाई वायर्स लिमिटेड में बोनस वितरण को रोका जाकर आन्दोलन प्रारंभ किया गया ।
31-10-90	सिम्पलेक्स कास्टिंग्स प्रबंधन व्दारा सिविल कोर्ट, दुर्ग से निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त किया गया ।
31-10-90 8-11-90 14-11-90 27-11-90 10-12-90	सिम्पलेक्स कास्टिंग्स मिटेड तथा भिलाई वायर्स लि0 से संबंधित विवाद पर बैठक ली गयी जिसमें युनियन पक्ष उपस्थित रहा किन्तु प्र पक्ष की अनुपस्थिति के कारण कोई चर्चा नहीं हो सकी । यूनियन को समझाईश दी गयी कि वैधानिक प्रावधानों के अनुसार मांग पत्र प्रस्तुत किया जावे ।

20-8-91	श्रम आयुक्त (तात्कालिक) म0 प्र0 शासन, इन्दौर श्री सुरेन्द्र नाथ द्वारा उभय पक्षों की बैठक रायपुर में ली गयी ।
20-10-91	सहायक श्रम आयुक्त द्वारा यूनियन प्रतिनिधियों से विद्यमान तनाव एवम् विवाद के संबंध में चर्चा की गयी ।
21-10-91	सहायक श्रम आयुक्त द्वारा सिम्पलेक्स, बी0 ई0 सी0, भिलाई वायर्स, बी0 के0 तथा केडिया उद्योग समूह के विवाद के संबंध में प्रबंधन प्रतिनिधियों से अलग-अलग चर्चा की गयी ।
22-10-91	उप श्रम आयुक्त, औद्योगिक संबंध, इन्दौर द्वारा यूनियन प्रतिनिधियों से चर्चा ।
23-10-91	पांचों समूहों के प्रबंधन प्रतिनिधियों से चर्चा ।
24-10-91	दोनों पक्षों से पृथक पृथक वार्ता की गयी ।
29-10-91 से 31-10-91	अपर श्रमायुक्त, इन्दौर द्वारा दोनों पक्षों से पृथक-पृथक चर्चा की गयी । यूनियन को कार्य से बाहर श्रमिकों की इकाईवार सूची प्रस्तुत करने को कहा गया ।
21-11-91 से 23-11-91	श्रमायुक्त कार्यालय, इन्दौर में दोनों पक्षों की बैठक हुई, दिनांक 23-11-91 को दोनों पक्षों को आमने-सामने किसी तरह वार्ता में बैठने हेतु सहमत कराया गया ।
6-12-91	उप श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर में दोनों पक्षों के साथ बैठक हुई । उप श्रमायुक्त द्वारा प्रबंधन प्रतिनिधियों को दिनांक 12-12-91 तक यूनियन द्वारा कार्य से बाहर श्रमिकों की सूची के अनुसार अपनी (सूची) प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ।
18-12-91	उप श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर में दोनों पक्षों की बैठक रखी गयी ।

24-12-91	रायपुर में अपर श्रमायुक्त द्वारा यूनियन प्रतिनिधियों एवम् सिम्पलेक्स तथा भिलाई वार्क्स के प्रबंधकों की बैठक ली गयी। जिसमें कार्य से बाहर श्रमिकों को कार्य पर लेने बाबत चर्चा की गयी ।
25-12-91	केडिया डिस्टलरी लिमिटेड एवम् छत्तीसगढ़ डिस्टलरी प्रबंधन प्रतिनिधियों तथा यूनियन प्रतिनिधियों के मध्य कार्य से बाहर श्रमिकों को कार्य पर लेने बाबत समझौता कराया गया ।
26-12-91	बी० ई० सी० तथा बी० के० उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों तथा यूनियन प्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई ।
2-1-92	सहायक श्रम आयुक्त द्वारा भिलाई वार्क्स, सिम्पलेक्स, बी० ई० सी० उद्योग समूह के प्रबंधन प्रतिनिधियों एवम् यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की गयी ।
13-1-92	छत्तीसगढ़ डिस्टलरी एवम् केडिया डिस्टलरी के प्रबंधन प्रतिनिधियों तथा यूनियन प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 25-12-91 को हुये समझौते के पालन के संबंध में बैठक ली गयी । इसी दिन बैठक के बाद केडिया डिस्टलरी के श्री रमाशंकर तिवारी के साथ धक्का-मुक्की की गयी जिससे दोनों पक्षों के मध्य काफी प्रयासों के बाद उत्पन्न सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में पुनः बिखराव आ गया ।
22-1-92	आयुक्त, रायपुर राजस्व संभाग, रायपुर व्दारा कलेक्टर एवम् पुलिस अधीक्षक, रायपुर तथा दुर्ग तथा उप श्रम युक्त व सहायक श्रम आयुक्त के साथ यूनियन तथा प्रबंधन प्रतिनिधियों की एक बैठक ली जाकर विवाद के निराकरण के संबंध में समझौता हेतु एक फार्मुला (प्रारूप) तैयार किया गया ।
27-1-92 से 28-1-92	अपर श्रमायुक्त, इन्दौर व्दारा रायपुर में दोनों पक्षों

	की बैठक ली गयी जिसमें दोनों पक्षों के मध्य पुनः तनाव हो जाने के कारणों व तथा समाधान पर चर्चा की गयी ।
2-2-92 से 4-2-92	सहायक श्रम आयुक्त, रायपुर व्दारा बी० ई० सी० प्रोडेक्ट्स, उरला के विवाद के संबंध में दोनों पक्षों से वार्ता की गयी । दोनों पक्ष समझौते के करीब पहुचते प्रतीत हुये किन्तु समझौता नही हो पाया ।
25-2-92 से 27-2-92	श्रम आयुक्त, म० प्र० शासन तथा अपर श्रमायुक्त, रायपुर आकर दोनों पक्षों से अलग-अलग वार्ता की गयी ।
6-3-92 तथा 25-3-92	सहायक श्रम आयुक्त व्दारा तिम्मलेक्स उद्योग समूह के प्रबंधन से वार्ता की गयी ।
26-3-92	सहायक श्रम आयुक्त व्दारा बी० ई० सी० उद्योग समूह के प्रबंधन प्रतिनिधियों से चर्चा की गयी ।
26-5-92	सहायक श्रम आयुक्त व्दारा सभी प्रबंधन प्रतिनिधियों से अलग-अलग चर्चा की गयी ।
30-5-92 से 1-6-92	अपर श्रम आयुक्त व्दारा रायपुर आकर दोनों पक्षों से अला-अलग वार्ता की गयी ।
2से 6 जून, 92	श्रम आयुक्त, म० प्र० शासन, इन्दौर व्दारा दोनों पक्षों से लगातार वार्ता की गयी । 4 एवम् 5 जून, 92 को दुर्ग में कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में दोनों पक्षों से वार्ता की गयी । वार्ता में युनियन पूर्व में तैयार किये गये फार्मुले के अनुसार श्रम आयुक्त की समझाईस के आधार पर विवाद को हल करने में सहमत हो गयी किन्तु नियोजकों व्दारा इस फार्मुले के अनुसार विवाद को हल करने में सहमत नही होते हुवे यह कहा गया कि युनियन की सभी मांगों पर एक साथ चर्चा की जाकर विवाद का हल किया जावे ।

दिनांक 6-6-92 को रायपुर मार्केट हाऊस में दोनों पक्षों के मध्य श्री आयुक्त द्वारा मांग एक से 6 तक वार्ता की गयी ।

11-6-92 से 13-6-92 — श्रमायुक्त, म0 प्र0 शासन एवम् अपर श्रमायुक्त, इन्दौर द्वारा मांग क्रमांक 1 से 8 तक दोनों पक्षों के मध्य चर्चा उपरान्त मांग क्रमांक 9 पर वार्ता की गयी, । जिसमें जिसमें नियोजकों की ओर से कहा गया कि लगातार आन्दोलनों के कारण आदेशों कोकमी हो जाने के तथा कुछ नये श्रमिकों को काम पर रख लिये जाने के कारण 500-600 श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार दिया जा सकता है जिसे युनियन सहमत नहीं हुयी ।

16-6-92 से 20-6-92 — सहायक श्रम आयुक्त द्वारा रायपुर में नियोजकों के प्रतिनिधियों से वैकल्पिक रोजगार के स्थान पर जो श्रमिक जहां कार्यरत थे, उस स्थान में नियोजित करने हेतु चर्चा की गयी ।

17, 19 एवम् 21-6-92 — सहायक श्रम आयुक्त द्वारा युनियन प्रतिनिधियों से चर्चा की गयी । चर्चा में युनियन प्रतिनिधियों द्वारा कहा गया कि 500-600 श्रमिकों को काम पर लेने के बजाय एक सिद्धान्त तय करके इस सिद्धान्त के के अनुसार श्रमिकों को वापस लिया जावे ।

29-6-92 — भिलाई वायर्स तथा युनियन प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली गयी थी जिसमें प्रबंधन की ओर से दो दिन का समय मांगा गया किन्तु युनियन द्वारा कहा गया की विवाद को आज ही हल करना चाहिये । दिनांक 30-6-92 को भिलाई वायर्स कम्पनी प्रबंधन के साथ एक बजे दोपहर पुनः बैठक रखी गयी ।

30-6-92 — भिलाई वायर्स प्रबंधन उपस्थित नहीं हुआ । भिलाई

इंजीनियरिंग कारपोरेशन प्रबंधन उपस्थित हुआ किन्तु यूनियन द्वारा कहा गया कि पहले भिलाई वार्ता से बात कर मामला तय किया जावे । इसी बीच नियोजकों का तत्पर सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से भिलाई में दोपहर पूर्व को नियोजकों के साथ बैठक रखी गयी तथा दोपहर पश्चात् यूनियन से चर्चा करने हेतु कहा गया ।

1-7-92 दोपहर पूर्व इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन के श्री बी० आर० जैन एवम् अन्यों से विवाद के सम्पूर्ण निराकरण के संबंध में वार्ता की गयी । दोपहर बाद 4:0 बजे बैठक की सूचना यूनियन कार्यालय को दूरभाष पर दी गयी किन्तु रेल रोको आन्दोलन के कारण यूनियन प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हुये । यूनियन कार्यालय को यह भी सूचित किया गया कि रेल रोको आन्दोलन के कारण प्रतिनिधि बैठक में यदि नहीं आ सकते तो दिनांक 2-7-92 को दोपहर 1:0 बजे रायपुर श्रम कार्यालय में उपस्थित हों किन्तु दिनांक 1-7-92 को गोलीकाण्ड की घटना के कारण आगे की वार्ता रूक गयी ।

गोली काण्ड की घटना के बाद किये गये प्रयास :

7 एवं 8 अक्टूबर, 1992 गोलीकाण्ड की घटना के उपरान्त लगभग तीन माह तक पक्षों के मध्य वार्ता का वातावरण नहीं रहा । श्रमिक नेताओं में बिखराव आ गया था । कुछ लोग गिरफ्तार हो गये थे तथा कुछ लोगों के भूमिगत हो जाने के कारण सम्पर्क में कठिनाई आती रही । दिनांक 7-10-92 को नियोजकों तथा दिनांक 8-10-92 को यूनियन प्रतिनिधियों से गोलीकाण्ड की घटना के बाद प्रथम बार चर्चा की गयी जिसमें नियोजकों के

	प्रतिनिधियों व्दारा कहा गया कि अपने नियोजकों से चर्चा कर आगामी तिथि में स्थिति रखेंगे ।
15-10-92 एवम् 16-10-92	बैठक में नियोजकों व्दारा कहा गया कि दिनांक 13-6-92 की वार्ता के अनुसार 505 श्रमिकों को कार्य पर रखने को सहमत हैं जबकि युनियन व्दारा कहा गया कि पूर्व में तय किये गये फार्मुले के अनुसार विवाद का हल किया जावे ।
24-11-92	भिलाई वायर्स लिमिटेड के विवाद पर दोनों पक्षों के मध्य चर्चा हुई । श्रमिकवार विवेचन किया गया । प्रबंधन पक्ष व्दारा आगामी बैठक में अपनी स्थिति रखने को कहा गया ।
26-11-92	बी0 ई0 सी0 प्रबंधन व श्रमिक पक्ष के मध्य चर्चा हुई । प्रबंधन व्दारा युनियन से विवाद की हल के लिये प्रस्ताव मांगा गया ।
22-12-92	बी0 ई0 सी0 प्रबंधन के साथ श्रमिक प्रतिनिधियों के मध्य चर्चा की गयी । युनियन व्दारा कहा गया कि एक दो दिन में प्रबंधन को विवाद को हल करने का प्रस्ताव दे दिया जायेगा ।
22-12-92	बी0 के0 उद्योग समूह के विवाद के संबंध में श्रमिकों से सूची के पुनः सत्यापन के लिये दोनों पक्षों को कहा गया ।
4-1-93	भिलाई वायर्स लिमिटेड के साथ युनियन की वार्ता हुई किन्तु प्रबंधन व्दारा उनके प्रबंध संचालक के बाहर होने का कारण दर्शाते हुवे अपनी स्थिति नहीं रखी जा सकी ।
5-1-93	सिम्प्लेक्स प्रबंधन तथा युनियन के मध्य वार्ता हुई । युनियन व्दारा प्रस्तुत श्रमिकों की सूची से श्रमिकवार

विश्लेषण किया गया तथा आगामी तिथी में प्रबंधन को विवाद के निराकरण के संबंध में अपनी स्थिति रखने को कहा गया ।

13-1-93 भिलाई वार्ता प्रबंधन तथा युनियन के मध्य वार्ता हुई । प्रबंधन व्दारा विवाद के संबंध में अपनी अंति स्थिति स्पष्ट नहीं करने के कारण युनियन व्दारा आक्रोश प्रकट किया गया तथा आगे वार्ता करने से इन्कार किया गया ।

21-1-93 बी० के० प्रबंधन तथा युनियन के मध्य चर्चा हुई ।

22-1-93 बी० ई० सी० प्रबंधन के साथ युनियन के मध्य वार्ता की गयी किन्तु विवाद के निराकरण के संबंध में पक्ष व्दारा स्पष्ट एवम् अनुकुल स्थिति नहीं रखी गयी

27-1-93 सिम्पलेक्स प्रबंधन तथा युनियन के मध्य वार्ता हुई । प्रबंधन व्दारा विवाद के हल के लिये कार्य से बाहर श्रमिकों के संबंध में स्पष्ट स्थिति नहीं रखते हुवे यह कहा गया कि आदेशों की कमी के कारण श्रमिकों क ले-आफ दिया जा रहा है तथा उत्पादन काफी कम हो गया है । आदेश 15 से 20 प्रतिशत रह गये हैं अतः विवाद का हल सभी उद्योग समूहों के साथ बैठकर निकाला जावे । युनियन व्दारा आक्रोश व्य किया गया तथा आगे वार्ता करने से इन्कार किया गया ।

4-2-93 केडिया उद्योग समूह तथा युनियन के मध्य वार्ता हुई । श्रमिकवार विश्लेषण किया गया तथा प्रबंधन को विवाद के हल के लिये आगामी तिथि में अपनी स्थिति रखने को कहा गया ।

11-3-93 बी० के० उद्योग समूह के प्रबंध संचालक श्री विजय कु

से विवाद के निराकरण हेतु पृथक से चर्चा की गयी । उनके द्वारा कहा गया कि श्रमिकों द्वारा अभी भी धीमे कार्य करना, अनुशासन-हीनता, आदेश की अवहेलना आदि स्थिति बनी हुई है । अतः सभी उद्योग समूह के विवाद का हल एक साथ किया जाना चाहिये ।

विवाद के निराकरण हेतु आरंभ की गयी तीसरे चरण की वार्ता में भी पक्षों का रुख व्यवहारि एवम् अग्रतर नहीं होने के कारण तथा विवाद पर पक्षों के मध्य सहमति की संभावना की स्थिति क्षीण प्रतीत होने के कारण युनियन तथा प्रबंधन के साथ वार्ता जारी रखते हुवे 15 इकाईयों से संबंधित विवा म० प्र० औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धार 51 के अंतर्गत तथा 3 इकाईयों से संबंधित विवाद औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के अंतर्गत संदर्भित करने हेतु श्रम आयुक्त, म० प्र० शास को दिनांक 9-11-92 को प्रस्ताव भेजे गये ।

श्रम आयुक्त द्वारा दिनांक 7-1-93 को 15 इकाईयों से संबंधित विवाद शासन को संदर्भित किये गये जो शासन द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण, रायपुर को पंच निर्णयार्थ दिनांक 26-2-93 को सौंपे गये । शेष 3 इकाईयों के विवाद दिनांक 27-3-93 को श्रमायुक्त द्वारा श्रम न्यायालय को अधिनिर्णयार्थ संदर्भित किये गये ।

:::

P. GUPTA
NOTARY
G (M.P.) INDIA
OCT 1993